भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1043
दिनांक 04 दिसम्बर, 2024/ 13 अग्रहायण, 1946 (शक) को उत्तर के लिए

राष्ट्रीय स्वचालित फिंगरप्रिंट पहचान प्रणाली (एनएएफआईएस)
1043# डा. दिनेश शर्माः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय स्वचालित फिंगरप्रिंट पहचान प्रणाली (एनएएफआईएस) लागू की है;
(ख) यदि हाँ, तो कितने राज्यों/संघ-राज्य क्षेत्रों में राज्य फिंगरप्रिंट पहचान प्रणाली को (एनएएफआईएस) के साथ जोड़ा गया है;
(ग) क्या राज्य फिंगरप्रिंट पहचान प्रणाली का एनएएफआईएस के साथ एकीकरण करने से कोई लाभ हुआ है; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री बंडी संजय कुमार)

(क) जी हाँ, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) ने राष्ट्रीय स्वचालित फिंगरप्रिंट पहचान प्रणाली (एनएएफआईएस) परियोजना को लागू किया है, जिसके तहत सभी जिलों, पुलिस आयुक्तालय, राज्य फिंगरप्रिंट ब्यूरो, केंद्रीय फिंगरप्रिट ब्यूरो और केंद्रीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों को आपराधिक फिंगरप्रिंट का राष्ट्रीय भंडार स्थापित करने के लिए उपकरण उपलब्ध कराए गए हैं।

(ख): सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की फिंगरप्रिंट पहचान प्रणालियों को एनएएफआईएस के साथ एकीकृत कर दिया गया है।

(ग) और (घ) : जी हाँ, एनएएफआईएस के कार्यान्वयन से 31.10.2024 तक 1.06 करोड़ आपराधिक फिंगरप्रिंट रिकॉर्ड युक्त एक खोज योग्य राष्ट्रीय भंडार का निर्माण हुआ है, जो सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकृत उपयोगकर्ताओं के लिए सुलभ है। एनएएफआईएस ने अपराध स्थलों पर मिले चांस प्रिंट का केंद्रीय आपराधिक फिंगरप्रिंट डाटाबेस से मिलान करके देश भर में जटिल मामलों को सुलझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिससे प्रभावी और त्वरित जांच में मदद मिली है।

****